

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इतिशिव्यस अज
मांगीलाल बनाम छोगीदेवी वगैरह, मु. नं. :- 149/2014

नम्बर व तारीख
अदकाम तो इम
हुक्म की तारीख
के प्रति हुक्म

13.05.2024

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा जैसला के पुराना खसरा संख्या 24 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 31 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा 37 रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा, जूमले रकबा 45 बीघा 08 बिस्वा आई हुई है। जिसके नवीन खसरा संख्या 37 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा संख्या 38 रकबा 2.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 60 रकबा 2.14 हैक्टेयर नवसूजित हुए हैं, उक्त भूमि पेमाशम वल्द अणदाराम के खातेदारी में दर्ज थी, पेमा के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 27 के जरिये इनके वारिस भाखरा, धुड़ा, हीरा पुत्र पेमा के नाम खातेदारी दर्ज हुई थी। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/3, 1/3 हिस्सा प्रत्येक का मालिकाना हक हकूक व कब्जा काशत का कानूनी आता है, इसी अनुसार मौके पर प्रार्थीगण का सहज व शांतिपूर्ण निर्वाध रूप से कब्जा काशत आया हुआ है, स्व भाखरा ने अपना हिस्सा पुराने खसरा संख्या 14, 31, 37 कुल रकबा 45 बीघा 08 बिस्वा में से तीसरा हिस्सा यानि 15 बीघा 02 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्ट्री खमुराम वल्द जगरूपाराम को बेचान कर बेचाननामा दिनांक 23.07.1979 पंजिबद्ध करवाया गया। वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्सा बेचान करने का खमुराम को कानूनी अधिकार था, उक्त हिस्से के अधिक हक-हकूक नहीं था, उसके बावजूद उसके खाते में 2/3 हिस्सा अवैध रूप से दर्ज किया गया, द्वितीय सेटलमेण्ट अधिकारियों ने वंटवाड़ा किया तब प्रार्थी के गोद पिता हिरालाल जीवित थे, लेकिन सेटलमेण्ट अधिकारियों ने प्रार्थी मांगीलाल के गोद पिता हिरालाल के अंगुष्ठ निशान लिये बिना उनकी सहमति के बिना वंटवाड़ा किया गया, उनके अनुसार आगे अवैध गैर कानूनी रूप से इन्द्राज किया गया जो ऐसा इन्द्राज अवैध व गैर कानूनी किया गया है, तथा प्रार्थी के गोद पिता हिरालाल की मृत्यु दिनांक 05.03.1997 को हुई थी। वादग्रस्त भूमि में खमुराम को अपना खरीदसुदा हिस्सा 1/3 ही आगे बेचान करने का कानूनी अधिकार था लेकिन खमुराम ने अपने 1/3 हिस्से से अधिक 2/3 हिस्सा बेचान कर दिया जो ऐसा बेचान गैर कानूनी है। खमुराम द्वारा अपने 1/3 हिस्से अनुसार जमाबंदी में अमलदरामद करना था लेकिन लिपिकीय भूल से द्वितीय सेटलमेंट वालों ने 2/3 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया, जिसका नाजायज फायदा उठाकर खमुराम द्वारा बेचान कर दिया। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व 2 के खाते में 1/3, 1/3 हिस्सा अनुसार कुल 30 बिघा भूमि दर्ज की जानी थी, परन्तु प्रार्थीगण को अपने हक हकूकों से वंचित कर खसरा संख्या 59 रकबा 2.59 हैक्टेयर यानि 16 बीघा भूमि दर्ज की गई, प्रार्थीगण का अपने हिस्से 1/3, 1/3 पर शांतिपूर्ण कब्जा काशत चला आ रहा है, प्रार्थीगण के खाते में 2/3 हिस्सा दर्ज करना था जबकि इसके विपरित खमुराम के खाते में दर्ज कर दी गई जिसका नाजायज फायदा उठाकर खमुराम ने भूमि का अवैध व गैर कानूनी तरीके से बेचान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कर दिया, अब उक्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि के आगे से आगे बेचान, रहन, तर्क, बसीयत करने पर तुले हुए हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति तीनों मूलभूत कानूनी स्तम्भ प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 2 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा जैसला के पुराने खसरा संख्या 24 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 31 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा 37 रकबा 39 बीघा 05 बिस्वा, जूमले रकबा 45 बीघा 03 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसके नवीन खसरा संख्या 38 रकबा 2.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 60 रकबा 2.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा संख्या 59 रकबा 2.59 है, नवसूजित हुए हैं। उक्त भूमि पेमा के फौत होने पर भाखरा, धुड़ा, हिरा पिता पेमा के नाम खातेदारी दर्ज हुई,

(V)

खसरा संख्या 37 रकबा 30 बीघा 05 बिरवा में से से 1/3 हिस्सा 09 बीघा 02 बिरवा बेचान की, बेचाननामा के वक्त उक्त खसरा संख्या पर खमुराम पुत्र जगरूपाराम का कब्जा करवा दिया था, जो बेचाननामा से प्रमाणित है, बेचाननामा के बाद भाखरा ने मौजा जैसला में अपनी संपूर्ण भूमि, हक हिरसा खमुराम पुत्र जगरूपाराम के पक्ष लिख दिया था। सेटलमेंट अधिकारियों ने आपसी सहमति एवं मौके अनुसार बंटवाड़ा तस्दीक किया है जो सही किया गया है, किसी भी तरह की कोई लिपिकिय गूल नहीं की है। खमुराम ने उक्त खसरा नंबरान में से खसरा संख्या 38 रकबा 2.30 हैक्टैयर भूमि व खसरा संख्या 60 रकबा 2.14 है, भूमि अप्रार्थीगण छोगी देवी व केलीदेवी ने मौल खरीद ली तथा खसरा संख्या 47 रकबा 0.32 है, भूमि आसुराम पुत्र धुड़ाराम ने मौल खरीद की, इसी अनुसार अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काशत है तथा मौके पर शांतिपूर्ण कब्जा काशत है। सेटलमेंट अधिकारियों ने बंटवाड़ा किया उसमें पक्षकारान् के हस्ताक्षर थे किसी तरह का अवैध इन्द्राज नहीं किया। खसरा संख्या 38, 47 व 60 पर 1, 2, व आसुराम का कब्जा काशत है। उक्त खसरा नंबरान पर प्रार्थीगण का कोई काब्जा काशत नहीं है, न ही प्रार्थीगण को कोई लेना देना है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की खरीदशुदा मालिकी हक-हकूक की है तथा वक्त खरीद से अप्रार्थीगण का शांतिपूर्ण कब्जा काशत है ऐसी सूरत में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं है न ही सुविधा का संतुलन है, न ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारीज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली-भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया, अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:- आदेश :-

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा जैसला के खेत खसरा संख्या 37 रकबा 0.22 है, ख.सं 38 रकबा 2.30 है, एवं खं. सं. 60 रकबा 2.14 है। भूमि का अप्रार्थी 1 व 2 मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे

पत्रावली फैंसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)

सहायक सहायक कलेक्टर सांचौर जिल्हा
फास्ट-ट्रैक सांचौर